

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

2.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के प्रकरण में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 180 दिवसों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के प्रकरण में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिवसों के भीतर की जानी चाहिए, एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, कंपनी के निदेशक मंडल अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

वर्ष 2019-20 हेतु कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2019 के दौरान कर दी गई थी।

वर्ष 2019-20 के लिए उन कंपनियों के अतिरिक्त जो सीएजी के अधिकार क्षेत्र में प्रथम बार 2019-20 में आई थी, सभी राजकीय उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा अगस्त 2019 में कर दी गई थी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

2.2 सरकारी कंपनियों (जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की दिनांक से साठ दिवसों के भीतर सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

राजस्थान राज्य भंडारण निगम तथा राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कंपनी के प्रकरण में सीएजी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखों की नमूना जाँच करवा सकते हैं एवं नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर सीएजी का (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कंपनी, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन होती है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

2.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है। साथ ही, ऐसा प्रतिवेदन तैयार करने के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणियाँ एवं पूरक के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान उपलब्ध हैं। यह क्रियाविधि राज्य के समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए लोक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

2.4 अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करनी होती है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक एजीएम तथा उससे अगली एजीएम की दिनांक के बीच 15 महीने से अधिक व्यतीत नहीं होने चाहिए। इस धारा में आगे प्रावधान है कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा के प्रकरण में, कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर एवं किसी अन्य प्रकरण में, वित्तीय वर्ष के

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 08 सितंबर 2020 को आदेश जारी कर 2019-20 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम आयोजित किए जाने हेतु नियत दिनांक/तिथि से तीन माह तक बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने में 30 सितम्बर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक का विस्तार हुआ।

समापन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। तदनुसार, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 30 सितंबर 2020 तक एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता थी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 129 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसी शास्ती लगाये जाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त के उपरांत भी विभिन्न राजकीय उपक्रमों के वार्षिक लेखे 31 दिसम्बर 2020 को लंबित थे, जिनका विस्तृत विवरण आगामी अनुच्छेद में दिया गया है।

31 मार्च, 2020 को, 38 सरकारी कंपनियां तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियां सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन थीं। इनमें से सभी सरकारी कंपनियों के साथ-साथ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वर्ष 2019-20 के लेखे देय थे।

31 दिसंबर, 2020 को या उससे पूर्व कुल 27 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य तीन कंपनियों ने अपने लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए थे। 11 सरकारी कंपनियों एवं एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

कुल 42 कंपनियों में से 12 कंपनियों के लेखे बकाया थे।

तालिका 2.1 बकाया लेखों की स्थिति

विवरण		सरकारी कंपनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां		
		सरकारी कंपनियां	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	योग
31 मार्च, 2020 को सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन आने वाली कंपनियों की कुल संख्या		38	4	42
कंपनियों की संख्या, जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक लेखों को सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया		27	3	30
बकाया लेखों की संख्या		11	1	12
बकाया की सीमा		5 वर्ष तक	1 वर्ष	
बकाया का वर्गीकरण	(i) परिसमापन के अधीन	1	-	
	(ii) निष्क्रिय	1	-	
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	-	1	
	(iv) अन्य	9	-	

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

2.5 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। तीन सांविधिक निगमों में से, दो निगमों ने 2019-20 के अपने लेखे 31 दिसंबर 2020 तक अग्रेषित किए थे।

31 दिसंबर 2020 को सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखों एवं उनके एसएआर के राज्य विधानमंडल में की प्रस्तुतिकरण की स्थिति का विवरण तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों का वर्ष	एसएआर के प्रस्तुतिकरण का माह/वर्ष
राजस्थान वित्त निगम	2018-19	नवंबर 2019
	2019-20	प्रस्तुतिकरण होना शेष है
राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	2018-19	नवंबर 2019
	2019-20	एसएआर को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2017-18	फरवरी 2020
	2018-19	फरवरी 2020
	2019-20	वार्षिक लेखे दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

स्रोत: राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित

सीएजी की निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा एवं पूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा

2.6 कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों की अनुपालना में वित्तीय विवरणों को तैयार करना आवश्यक है। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं ₹250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कम्पनियों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की अनुपालना करना आवश्यक है। साथ ही, उपरोक्त वर्णित कंपनियों की जनक, सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम को भी इंड एस की अनुपालना करना आवश्यक है। उपरोक्त के दायरे में नहीं होने वाली कंपनियां लेखा मानकों (एस) को लागू करना जारी रखेंगी। 42 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से, 14 उपक्रमों द्वारा इंड एस का अनुसरण किया जाता है जबकि शेष अपने लेखे एस के अनुसार तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों को अपने लेखे सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में एवं ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अनुसार तैयार करने होते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

2.7 सीएजी द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन की निगरानी करके निरीक्षण की भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी करना।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि 13 कंपनियों, जैसा कि **अनुबंध-2.1** में दर्शाये गया है, ने अनिवार्य लेखा मानकों/इंड एस की अनुपालना नहीं की थी।

सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.8 कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मूल उत्तरदायित्व एक उपक्रम के प्रबंधन का है।

सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई है, वार्षिक साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.9 समीक्षा अवधि (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020) के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों, की गई समीक्षा एवं जारी की गई टिप्पणियों की स्थिति तालिका 2.3 में दी गई हैं:

तालिका 2.3: राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरण का विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20			गत वर्षों के		
	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त	30	2	32	13	1	14
समीक्षा नहीं की गई	9	-	9	2	-	2
समीक्षा की गई	21	2	23	11	1	12
लेखापरीक्षा प्रगति* पर है	7	1	8	1	-	1
शून्य टिप्पणी जारी की गई	10	-	10	6	-	6
टिप्पणियां जारी की गई	4	1	5	4	1	5

* 31 दिसंबर 2020 को

साथ ही, सात राजकीय उपक्रमों, जिनकी लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2019 को प्रगति पर थी, में से चार राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियों) के वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2019 व फरवरी 2020 के मध्य टिप्पणियां जारी की गई थी। इस प्रकार, समीक्षा अवधि के दौरान 14 राजकीय उपक्रमों (अनुबंध 2.2) के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी।

वित्तीय विवरणों का संशोधन/लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनर्लेखन

2.10 लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीएजी द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एक सरकारी कंपनी (राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड) ने अपने वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण, वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे। तदनुसार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

2.11 प्रतिवेदन अवधि (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020) के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात राजकीय उपक्रमों से प्राप्त

वित्तीय विवरणों की सीएजी ने पूरक लेखा परीक्षा की। जारी की गई टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है;

लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2019-20)	बे के रखरखाव के लिए ओ एंड एम प्रभार, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 4.44 करोड़) एवं एनआरएसएसएसएसएसएसएसवीआई ट्रांसमिशन लिमिटेड (₹ 0.16 करोड़) से वसूलनीय थे, का लेखाकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संचालन से राजस्व के साथ-साथ चालू परिसंपत्तियों को ₹ 4.60 करोड़ से कम दर्शाया गया।
		पारेषण लाइनों के संबंध में पारेषण टैरिफ की अधिक बुकिंग के परिणामस्वरूप संचालन से राजस्व के साथ-साथ चालू परिसंपत्तियों को ₹ 5.94 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		400 केवी डीसी भीलवाड़ा-अजमेर लाइन पर 26.01.18 से 31.03.20 की अवधि के लिए मूल्यहास नहीं लगाने के परिणामस्वरूप मूल्यहास एवं परिशोधन व्ययों को ₹1.83 करोड़ से कम दर्शाया गया एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को ₹1.83 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		अडानी ट्रांसमिशन (राजस्थान) लिमिटेड से एकात्मक प्रभारों के रूप में प्राप्य अधिमूल्य का समायोजन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक एवं अन्य स्वर्चों को अधिक दर्शाया गया एवं चालू परिसंपत्तियों को ₹ 3.73 करोड़ रुपये से कम दर्शाया गया।
2.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20)	मूर्त परिसंपत्तियों में परिचालन रूप से स्वीकार किए गए एवं पूर्व में ही सुपुर्द किये गये ₹ 21.76 करोड़ के आईटी उपकरण सम्मिलित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू पूँजीगत कार्य को ₹18.17 करोड़ से अधिक दर्शाया, दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों को ₹ 3.59 करोड़ से अधिक दर्शाया, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत मूर्त परिसंपत्तियों को ₹ 21.76 करोड़ से कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यहास को भी कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹2.43 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		विद्युत की बिक्री में विभिन्न एबीआर घटकों में राशि के अंतर के पेटे, वितरण फ्रेंचाइजी (डीएफएस) से वसूलनीय ₹ 41.42 करोड़ की राशि करोड़ सम्मिलित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों तथा वर्ष के लिए लाभ को ₹41.42 करोड़ से कम दर्शाया गया।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

3.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड (2019-20)	वर्ष 2019-20 से संबंधित पेंशन अंशदान को सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण कर्मचारियों के लाभ व्यय को ₹ 0.95 लाख से कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को भी ₹ 0.95 लाख से कम दर्शाया गया।
4.	राजस्थान वित्त निगम (2019-20)	राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के लिए न्यूनतम गारंटीड लाभांश के पेटे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को देय लाभांश का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण अन्य देयताओं एवं प्रावधानों को ₹ 4.04 करोड़ से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को ₹ 4.04 करोड़ द्वारा कम दर्शाया गया।
5.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2018-19)	<p>सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा की यूनिट 5 एवं यूनिट 6 के संबंध में अस्थिर विद्युत पर विलंब भुगतान अधिभार को चालू पूँजीगत कार्य में समायोजित किए जाने एवं अधिक आवंटन के कारण संचालन से राजस्व को ₹ 20.70 करोड़ से कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू पूँजीगत कार्य एवं लाभ को ₹ 20.70 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> <p>मैसर्स सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड को ऑफ-टेक मात्रा में कोयले की कमी के लिए देय ट्रेक एक्सेस प्रभारों के पेटे देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण उत्पादन एवं अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को ₹ 5.64 करोड़ से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक देनदारियों को ₹5.64 करोड़ से कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹5.64 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>वाणिज्यिक संचालन की तिथि (31 मार्च 2017) से 12 वर्षों के पश्चात, कम्पनी ने कोटा थर्मल पावर स्टेशन, चरण-IV के सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के शेष ह्रासित मूल्य पर 2017-19 की अवधि हेतु मूल्यहास आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के नियमों एवं शर्तों) विनियमन 2014 के स्वण्ड 22 (4) में प्रदान की गई सम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवन (13 वर्ष) में विस्तारित किए जाने के स्थान पर सीधी रेखा पद्धति से ₹28.18 करोड़ का मूल्यहास लगाया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय ₹ 14.09 करोड़ (वर्ष 2018-19 के लिए मूल्यहास) तथा अन्य इक्विटी ₹ 14.09 करोड़ (वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यहास) से अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं लाभ को क्रमशः ₹ 28.18 करोड़ तथा ₹14.09 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> <p>वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के कम भुगतान (₹15.67 करोड़) के पेटे एवं इस पर दंडात्मक ब्याज (₹0.84 करोड़) की देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय लागतों एवं अन्य चालू देयताओं को ₹16.51 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p>

6.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2018-19)	<p>राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रभारों का दो बार लेखांकन किए जाने के परिणामस्वरूप संचालन से राजस्व एवं व्यापारिक प्राप्यों को ₹ 9.86 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप वर्ष के लिए हानि उसी सीमा तक कम दर्शायी गई है।</p> <p>डिस्कॉम्स को देय अवितरित विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) प्रभारों के सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को सम्मिलित करने के कारण अन्य आय के साथ-साथ व्यापारिक प्राप्य ₹ 45.16 लाख से अधिक दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि उस सीमा तक कम दर्शायी गई है।</p> <p>मार्च 2019 माह हेतु देयताओं (अडानी ट्रांसमिशन (राजस्थान) लिमिटेड एवं केईसी बीकानेर सीकर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड को देय में एकात्मक प्रभार ₹ 4.83 करोड़ के साथ-साथ न्यायिक मामलों की फीस ₹16.28 लाख) का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक एवं अन्य व्ययों के साथ-साथ चालू देयताएं ₹ 4.99 करोड़ से कम दर्शाई गई। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि उस सीमा तक कम दर्शायी गई है।</p>
7.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19)	<p>पिछले वर्षों के दौरान त्रुटि/चूक के कारण समूह अवकाश नकदीकरण योजना हेतु किये गये आधिक्य प्रावधान के कारण कर्मचारी लाभ व्ययों को ₹1.55 करोड़ से क्रेडिट किया गया। इस त्रुटि को एएस 5 के अनुसार पूर्व अवधि की आय को क्रेडिट करके सुधारा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्ययों को कम दर्शाया गया एवं अपवाद एवं असाधारण मदों से पूर्व लाभ/आय को ₹ 1.55 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।</p>
8.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (2018-19)	<p>मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय में 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए 'अमूर्त संपत्तियों' (सॉफ्टवेयर) पर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष (उपयोगी जीवन 4 वर्ष मानते हुए) की दर से मूल्यहास की ₹ 5.60 करोड़ की राशि सम्मिलित है। चूंकि सॉफ्टवेयर 20.11.2015 को स्थापित किया गया था, इसलिए चालू वर्ष के लिए मूल्यहास के रूप में ₹ 1.40 करोड़ लगाया जाना था, पूर्व अवधि व्यय के रूप में ₹ 3.38 रुपये तथा शेष राशि ₹ 0.82 करोड़ को गैर-चालू संपत्ति के रूप में दर्शाया जाना था। गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के व्यय को ₹ 4.20 करोड़ से अधिक दर्शाया गया एवं 'पूर्व अवधि व्यय' के साथ-साथ 'गैर-चालू परिसंपत्तियों' को क्रमशः ₹ 3.38 करोड़ एवं ₹ 0.82 करोड़ से कम दर्शाया गया। वर्ष के लिए लाभ भी ₹ 0.82 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> <p>'चालू देयताओं' को समायोजित करने के स्थान पर, ई बाजार विक्रेता के पेटे व्यापार देयताओं को किये गये भुगतान का 'व्यय मद' में गलत लेखांकन के कारण अन्य व्यय एवं चालू देयताओं को ₹ 2.58 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।</p> <p>2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए राज्य नवीकरणीय कोष में योगदान का प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों के साथ-साथ</p>

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

		चालू देयताओं को ₹ 0.30 करोड़ से कम दर्शाया गया।
9	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018-19)	जैव चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव के पेटे ₹ 0.59 करोड़ की देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को कम दर्शाया गया एवं उस सीमा तक लाभ को अधिक दर्शाया गया।
10	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	कर्मचारी भविष्य निधि योगदान के भुगतान में चूक के लिए ब्याज एवं शास्ति के पेटे ₹ 43.67 लाख की देयता प्रदान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों तथा हानि को उस सीमा तक कम दर्शाया गया। शहरी विकास कर के पेटे देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं के साथ-साथ हानि को ₹45.83 लाख से कम दर्शाया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2018-19)	नाबार्ड एवं हुडको के साथ निष्पादित ऋण समझौता पत्रों पर स्टॉप शुल्क के पेटे देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण अन्य वित्तीय देयताओं को ₹ 5.45 करोड़ से कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि उस सीमा तक कम दर्शायी गई है। 2018-19 के दौरान निष्पादित विभिन्न पूँजीगत कार्यों के पेटे देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण अन्य वित्तीय देयताओं के साथ-साथ चालू पूँजीगत कार्य को ₹ 3.78 करोड़ से कम दर्शाया गया।
2.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19)	गत वर्ष से संबंधित आय एवं व्ययों क्रमशः ₹ 38.48 लाख एवं ₹ 6.69 लाख की राशि को एएस 5 के उल्लंघन में लाभ एवं हानि के विवरण के माध्यम से समायोजित करने के स्थान पर सीधे संचय एवं अधिशेष से समायोजित किया गया।
3.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (2018-19)	कंपनी ने सॉफ्टवेयर की लागत ₹ 5.60 करोड़ का भुगतान किया (अगस्त 2018) एवं चालू वर्ष के लेखों में इसे 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में दर्शाया। तथापि, कंपनी ने पूर्व में सृजित देयता एवं गत वर्षों में दर्शाये गए व्यय (2016-17 में ₹ 2.80 करोड़ एवं 2017-18 में ₹ 1.30 करोड़) को प्रत्यावर्तित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'चालू देयता' को अधिक एवं पूर्व अवधि आय को ₹ 4.10 करोड़ से कम दर्शाया गया।

		अन्य चालू परिसंपत्तियों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) क पेटे ₹ 0.51 करोड़ की राशि सम्मिलित है, जिसके संबंध में कंपनी के पास विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं थे तथा यह राशि लंबे समय से लंबित पड़ी थी। गत दो वर्षों में आश्वासन दिए जाने के बाद भी, चालू वर्ष के लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'चालू परिसंपत्तियों' को अधिक एवं 'व्ययों' को ₹ 0.51 करोड़ से कम दर्शाया गया।
4.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों के वेतन से कटौती के संबंध में विभिन्न विभागों से प्राप्त राशि का लेखांकन नहीं किए जाने के कारण अन्य चालू देयता को ₹ 71.30 लाख से कम दर्शाया गया है। फलस्वरूप, चालू परिसंपत्तियों को उस सीमा तक कम दर्शाया गया था।
5.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (2016-17)	चालू पूँजीगत कार्य में लघु एवं मध्यम कस्बे के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के ₹ 171.49 करोड़ के चालू कार्य सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी के साथ-साथ गैर-चालू देयताओं (अन्य दीर्घकालिक देयताओं) को ₹ 171.49 करोड़ से कम दर्शाया गया।

प्रकटन/सामान्य पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	राजस्थान वित्त निगम (2019-20)	न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार इकाई ¹ की भूमि तथा भवन के विक्रय की वसूली से प्राप्त राशि को विभाजित करने के लिए निगम ने भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) को देय ₹ 7.39 करोड़ (₹ 3.84 करोड़ की मूल राशि के साथ ₹ 3.55 करोड़ ब्याज) को एफडीआर में पृथक रखा है। तथापि, निगम ने आईआईबीआई को देय ₹ 3.55 करोड़ की ब्याज की देयता तथा एफडीआर पर अर्जित ब्याज का लेखों की टिप्पणियों में उपयुक्त प्रकटन नहीं किया।
2.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2018-19)	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में पूँजीगत वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ठेकदारों को दिए गए ₹ 24.85 करोड़ का अग्रिम सम्मिलित है जो कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (आरएसईबी) के विघटन के समय से समायोजन हेतु लंबित है। तथापि, कंपनी के पास कोई संबंधित अभिलेख नहीं थे। जिसके अभाव में, लेखा पुस्तकों में परिलक्षित ₹ 24.85 करोड़ रुपये के अग्रिम की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।
3.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19)	कंपनी के स्टॉक पंजिकाओं में उत्पादन/प्रापण के साथ-साथ बीजों की बिक्री को पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया था जिसमें विभिन्न योजनाओं के अधीन अनुदान सम्मिलित है। इस चूक के कारण लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग

1 मैसर्स फरीदाबाद कैमिकल्स लिमिटेड

		<p>की गई/दावा की गई अनुदान की शुद्धता का आंकलन नहीं किया जा सका।</p> <p>राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार एवं परिचालन व्यय को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (आरएसएएमबी) के साथ 60:40 के अनुपात में साझा करने के लिए, कंपनी ने 'बीज रथ' का संचालन (15 मई 2018 से 30 जून 2018) किया एवं इसको देय राशि में से आरएसएएमबी के हिस्से के ₹ 1.51 करोड़ रुपये को समायोजित कर लिया गया। तथापि, यह तथ्य कि आरएसएएमबी ने इस समायोजन को अनुमति नहीं दी थी, टिप्पणी के माध्यम से प्रकट नहीं किया गया।</p>
4.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	<p>कंपनी ने प्रकट नहीं किया था:</p> <p>(i) जैव चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव के संबंध में ₹3.42 करोड़ के बीजक पत्र।</p> <p>(ii) ₹1.50 करोड़ की दवाओं एवं उस पर ब्याज राशि ₹0.77 करोड़ के भुगतान हेतु लिए आकस्मिक देयता</p> <p>(iii) लेखों की टिप्पणी में वाणिज्यिक विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक को दिए गए अग्रिम के समायोजन का लंबित होना।</p> <p>(iv) परिसमापक द्वारा आकस्मिक देयता के अंतर्गत उच्च न्यायालय के निर्णय/फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ के समक्ष दायर पुनर्विचार याचिका।</p>
5.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2016-17)	<p>बिक्री एवं अनुदान शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई चीनी स्वरीद हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार (जीओआई) एवं राजस्थान सरकार से प्राप्य अनुदान के आंकड़े चीनी अनुदान के समाशोधन हेतु नियुक्त फर्म (मैसर्स एस. ए. अग्रवाल एण्ड एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुरूप नहीं थे एवं इसलिए समाशोधन किया जाना आवश्यक है।</p> <p>गत वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 के लेखों में टिप्पणी किए जाने के उपरांत भी, कंपनी ने यह प्रकट नहीं किया कि राजस संघ के वीएसएस, बारां द्वारा कोषागार से अनियमित/अनधिकृत रूप से आहरित किये गये ₹ 94.34 लाख में से ₹ 72.43 लाख रुपये कंपनी के लेखों में जमा करा दिये गये हैं जो सरकारी कोष को वापस लौटाया जाना है।</p> <p>लेखों पर टिप्पणी के टिप्पणी संख्या 1.29 इस सीमा तक अपूर्ण है कि आरक्षित गोदामों के लिए आरएसडब्ल्यूसी द्वारा किए गए ₹ 2.99 करोड़ के दावे को प्रकट नहीं किया गया।</p> <p>कंपनी ने डीसीपी योजना के अंतर्गत गेहूं की स्वरीद के लिए केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम (सीडब्ल्यूसी) के गोदाम आरक्षित किए। तथापि, आरक्षित गोदामों के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए ₹ 36.30 लाख के</p>

		दावे का न तो प्रावधान किया गया है एवं न ही लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।
6.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (2016-17)	कंपनी ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि निरस्त किए गये सिविल कार्यों के पेटे ठेकेदारों से ₹ 29.03 करोड़ की राशि वसूलनीय है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर वर्ष 2016-17 के वार्षिक वित्तीय विवरणों को संशोधित किए जाने के तथ्य को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया।

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20)	<p>सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में जीओआर से प्राप्य टैरिफ अनुदान के संबंध में कंपनी द्वारा किये गए लेखांकन पर टिप्पणी निम्न प्रकार दी गई थी:</p> <p>“जीओआर ने ₹ 3999.33 करोड़ की दावा राशि में से ₹ 1426.63 करोड़ की राशि को स्वीकार किया, शेष राशि ₹ 2572.70 करोड़ को लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किया जाना चाहिये, परन्तु कंपनी ने आज दिनांक तक इस संबंध में कोई लेखांकन नहीं किया। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लाभ, पूर्व अवधि आय एवं अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों को ₹ 2572.70 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। जीओआर द्वारा कंपनी के अनुदान दावे को वर्षवार अस्वीकार किए जाने के विवरणों के अभाव में, हम कंपनी के चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि की आय पर अलग से इसका प्रभाव देने में असमर्थ हैं।”</p> <p>(i) अनुदान दावे को अस्वीकृत किए जाने के वर्षवार विवरण के अभाव में चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि आय पर इसका प्रभाव देने में असमर्थता के संबंध में की गई टिप्पणी का यह भाग सही नहीं है क्योंकि लेखा मानक-5 के अनुसार ‘पूर्व अवधि मदों’ में केवल उन आय या व्ययों को संदर्भित किया गया है जो कि पूर्व अवधि के एक या अधिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं। इसमें परिस्थितियोंवश अन्य आवश्यक समायोजन, जो यद्यपि पूर्व अवधियों से संबंधित हैं किन्तु चालू अवधि में निर्धारित किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकरण में, जीओआर ने चालू अवधि में अनुदान के दावे को अस्वीकृत किया है अतः यह एक पूर्व अवधि मद नहीं है। इस प्रकार, टिप्पणी केवल चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव डालेगी।</p> <p>(ii) साथ ही, ऊपर (i) पर उल्लिखित टिप्पणी का प्रभाव देने से, कंपनी का वर्ष के लिए ₹ 2188.15 करोड़ का लाभ ₹ 384.55 करोड़</p>

		की हानि में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई राय कि लेखे 'सत्य एवं उचित' चित्र प्रस्तुत करते हैं सही नहीं है।
2.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20)	<p>सांविधिक लेखा परीक्षक ने टिप्पणी की कि कंपनी ने 2019-20 तक विभिन्न टैरिफ अनुदानों के समक्ष ₹ 6942.94 करोड़ जीओआर से प्राप्य के रूप में दिखाये। जीओआर ने अपने दिनांक 21.08.2020 के पत्र के माध्यम से केवल ₹1983.56 करोड़ के टैरिफ अनुदान दावे को अनुमोदित किया। कंपनी ने इस अनुदान राशि को चालू वित्त वर्ष एवं गत वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण में राजस्व के रूप में दर्ज किया। तदनुसार, कंपनी ने चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि आय को ₹ 4959.38 करोड़ से अधिक दर्शाया है एवं प्राप्य सब्सिडी/अनुदान को ₹ 4959.38 करोड़ से अधिक दर्शाया है। जीओआर द्वारा कंपनी के अनुदान दावे को वर्षवार अस्वीकार किए जाने के विवरणों के अभाव में, हम कंपनी के चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि की आय पर अलग से इसका प्रभाव देने में असमर्थ हैं। कंपनी जीओआर के साथ इस प्रकरण को उठा रही है।</p> <p>(i) अनुदान दावे को अस्वीकृत किए जाने के वर्षवार विवरण के अभाव में चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि आय पर इसका प्रभाव देने में असमर्थता के संबंध में की गई टिप्पणी का यह भाग सही नहीं है क्योंकि लेखा मानक-5 के अनुसार 'पूर्व अवधि मदों' में केवल उन आय या व्ययों को संदर्भित किया गया है जो कि पूर्व अवधि के एक या अधिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं। इसमें परिस्थितियों/वश अन्य आवश्यक समायोजन, जो यद्यपि पूर्व अवधियों से संबंधित हैं किन्तु चालू अवधि में निर्धारित किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकरण में, जीओआर ने चालू अवधि में अनुदान के दावे को अस्वीकृत किया है अतः यह एक पूर्व अवधि मद नहीं है। इस प्रकार, टिप्पणी केवल चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव डालेगी।</p> <p>(ii) साथ ही, ऊपर अ(i) पर उल्लिखित टिप्पणी का प्रभाव देने से, कंपनी का वर्ष के लिए ₹ 9.85 करोड़ का लाभ ₹ 4949.53 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई राय कि लेखे 'सत्य एवं उचित' चित्र प्रस्तुत करते हैं सही नहीं है।</p>
3.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा	सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा 'प्रकरण पर जोर' के तहत राज्य नवीकरण कोष (₹ 54 लाख) की देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के संबंध में की गई टिप्पणी, जैसी कि टिप्पणी सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई, एवं चालू वर्ष के लेखों पर इसके

	निगम लिमिटेड (2019-20)	अनुरूप प्रभाव अर्थात चालू देयताओं को कम करके और लाभ को ₹ 54 लाख से अधिक दर्शाना त्रुटिपूर्ण था क्योंकि ₹ 60 लाख की मांग/देयता के समक्ष सांविधिक लेखापरीक्षक ने मात्र ₹ 54 लाख की देयता को प्रकट किया। साथ ही, इसका प्रभाव देते हुये सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा यह नहीं कहा गया कि ₹ 60 लाख का प्रावधान किया जाता तो ₹ 23.51 लाख का कर पूर्व लाभ ₹ 36.49 लाख की हानि में परिवर्तित हो जाता।
4.	राजस्थान वित्त निगम (2019-20)	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (3) के अंतर्गत वित्त निगम के मामलों की स्थिति के सत्य एवं उचित चित्र के संबंध में राय व्यक्त नहीं की। इस प्रकार, लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन इस सीमा तक अपूर्ण हैं।
5.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत प्रत्येक सब्सिडी/अनुदान के पर्याप्त प्रकटन के संबंध में जारी निर्देशों (जून 2019) पर उचित रूप से टिप्पणी नहीं की। साथ ही, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि कंपनी द्वारा अनाज के रूप में बीजों की बिक्री, राज्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण तथा क्रेता से इस घोषणा के आधार पर की गई थी कि यह मानव उपभोग के लिए नहीं है। यह कथन गलत है क्योंकि कंपनी ने राज्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के बिना मार्च 2018 से सितंबर 2018 के दौरान 80,932 क्विंटल बीजों की अनाज के रूप में नीलामी की थी।
6.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2016-17)	स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निम्न (i) सब्सिडी आय की अधिक क्रेडिट, (ii) कंपनी द्वारा वसूल की गई क्षतिपूर्ति का व्यवहार, (iii) चीनी की क्रय लागत से अधिक सब्सिडी के दावे के लिए धोखाधड़ी एवं चीनी की गैर आईएसएस श्रेणी के संबंध में सूचना, (iv) वितरण के असत्य आंकड़ों पर प्रस्तुत त्रैमासिक दावे (v) वास्तविक दावों की तुलना में खातों में सब्सिडी का अधिक लेखांकन एवं (vi) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा दावा किए गए व्ययों की देयता प्रदान नहीं करने के संबंध में लेखापरीक्षक के कथन गलत/अपूर्ण पाये गये थे। साथ ही, सांविधिक लेखापरीक्षक ने यह भी उल्लेख नहीं किया था कि उसकी टिप्पणियों का प्रभाव देने से कर पूर्व लाभ, लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया गया ₹ 6.57 करोड़ (कर पूर्व लाभ) का लाभ, के विरुद्ध ₹ 14.49 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जायेगा।

सांविधिक निगम, जहां सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है

2.12 सीएजी द्वारा सांविधिक निगम के लेखों पर, जहां सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है, जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

निगम ने पेमेंट गेटवे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (पीजीडीबीए) शीर्ष के अंतर्गत, निगम के बूट पोर्टल पर दर्शाए गए ₹ 38.65 करोड़ के राजस्व के समक्ष ₹ 38.35 करोड़ ऑनलाइन आरक्षण सॉफ्टवेयर (ओआरएस) के माध्यम से ई-टिकटिंग से राजस्व को दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.30 करोड़ से यात्री आय को कम एवं शुद्ध हानि को अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप, देनदारों को ₹ 0.30 करोड़ से कम दर्शाया गया।

लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

2.13 कथित अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 एवं धारा 133 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखा मानकों को निर्धारित किया था। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) को अधिसूचित किया। इंड एस 115 तथा 116 की अधिसूचना के पश्चात तीन इंड एस 11, 17 एवं 18 को वापस ले लिया गया है।

अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020 के मध्य की गई पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने देखा कि निम्नलिखित कंपनियों ने लेखा मानकों/इंड एस की अनुपालना नहीं की थी, जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था:

एस/इंड एस	एस/इंड एस का नाम	कंपनी का नाम	विचलन
एस 5	अवधि के लिए, शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मर्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19)	गत वर्षों में की गई त्रुटि को पूर्व अवधि मद में समायोजित करके सुधार किया जाना चाहिए था, तथापि समायोजन चालू वर्ष के व्ययों में किया गया था।
		राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19)	गत वर्षों से संबंधित आय एवं व्ययों को लाभ एवं हानि विवरण के अन्तर्गत पूर्व अवधि मर्दों के स्थान पर सीधे संचय एवं अधिशेष के माध्यम से समायोजित किया गया।
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि सब्सिडी दावों की अस्वीकृति को चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्व अवधि आय में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20)	तथापि, यह गलत है क्योंकि सब्सिडी की अस्वीकृति कोई त्रुटि या चूक नहीं है जिसे पूर्व अवधि मर्दों के माध्यम से समायोजित किया जाये।
एस12	सरकारी	राजस्थान राज्य बीज	राजस्व से संबंधित अनुदानों को लाभ एवं हानि

अनुदान के लिए लेखांकन	निगम लिमिटेड (2018-19)	विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना चाहिए, तथापि इसे संचालन से राजस्व में जोड़ा गया था।
--------------------------	---------------------------	--

प्रबंधन पत्र

2.14 वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक एवं निगमित इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों पर सम्प्रेषण स्थापित करना है।

राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आक्षेपों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की गई थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय प्रतिवेदनों में अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताओं या कमियों पर भी सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया था। यह कमियां सामान्यतः लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं के लागू करने एवं व्याख्या करने, लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजनों जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है एवं कतिपय सूचनाओं की अपर्याप्तता अथवा प्रकटन नहीं किया जाना, जिस पर संबंधित राजकीय उपक्रम के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई आगामी वर्ष में की जाएगी से संबंधित है।

समीक्षा अवधि के दौरान, सीएजी ने राजकीय उपक्रमों को 26 'प्रबंधन पत्र' जारी किए, जैसा कि अनुबंध-2.3 में दर्शाया गया है। इन प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति निम्नानुसार थी:

- पुराने शेषों का मिलान नहीं किया जाना;
- परिसम्पतियों, देयताओं, आय एवं व्यय आदि का गलत वर्गीकरण;
- 'लेखों की टिप्पणियों में' अपर्याप्त/प्रकटन नहीं किया जाना;
- सीएजी के निर्देशों पर टिप्पणी न किया जाना; एवं
- उचित लेखा पुस्तकों के रख रखाव का अभाव।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4
